



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253165
CG-DL-E-16032024-253165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2024/फाल्गुन 26, 1945

No. 1369]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2024/PHALGUNA 26, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2024

सं. 77 / 2023

विषय: 15 सितंबर 2024 तक सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाए जाने के संबंध में

का.आ. 1435(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 15 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 60 के तहत निम्नलिखित आईटीसी (एचएस) कोड की आयात नीति और आयात नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है:

आईटीसी (एचएस कोड)	मद विवरण	आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
60063100	—कृत्रिम रेशों का:—बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60063200	—कृत्रिम रेशों का : —रंगा हुआ	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है

60063300	—कृत्रिम रेशों का : — विभिन्न रंगों के धागों का	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60063400	—कृत्रिम रेशों का:—मुद्रित	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है
60069000	— अन्य	मुक्त	निषिद्ध	-	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर और इससे अधिक प्रति किलोग्राम है तो आयात 'मुक्त' है

मौजूदा 'मुक्त' आयात नीति, जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले है, 16 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी, जब तक कि बाद की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित न किया जाए।

इस अधिसूचना का प्रभाव: 3.50 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य 15 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए (5) विशिष्ट सिंथेटिक बुना हुआ कपड़ा आईटीसी (एचएस) कोड पर लगाया गया है। मौजूदा "मुक्त" आयात नीति, जैसा कि इसे जारी करने से पहले है अधिसूचना, 16 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी, जब तक कि बाद की अधिसूचना द्वारा स्पष्ट रूप से संशोधित न किया जाए।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-39/एम-05/पीसी-2[क]/ई-1425]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2024

No. 77/2023

Subject: Imposition of Minimum Import Price on Synthetic Knitted Fabrics up to 15th September 2024 –reg.

S.O. 1435(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby revises the Import Policy and Import Policy Condition of the following ITC(HS) Codes under Chapter 60 of ITC (HS) 2022, Schedule-I(Import Policy), for the period up to 15th September 2024 as under:\

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Revised Import Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
60063100	-Of synthetic fibres : -- Unbleached or bleached	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063200	-Of synthetic fibres : -- Dyed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063300	-Of synthetic fibres : -- Of yarns of different colours	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60063400	-Of synthetic fibres : -- Printed	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram
60069000	-- Other	Free	Prohibited	-	However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram

2. The existing 'Free' Import Policy, as it stands prior to the issuance of this Notification, shall be in effect starting from 16th September 2024, unless expressly amended by subsequent notification.

Effect of the Notification: Minimum Import Price of US Dollar 3.50 per Kilogram is imposed on (5) specific Synthetic Knitted Fabric ITC(HS) Codes for the period up to 15th September 2024. The existing 'Free' Import Policy, as it stands prior to the issuance of this Notification, shall be in effect starting from 16th September 2024, unless expressly amended by subsequent notification.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-39/AM-05/PC-2[A]/E-1425]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.